5 रु कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2012 निगरानी — R - 2733 - I /12

रामेश्वर पिता धूराजी, निवासी–दीपाखेड़ा तह. सीतामऊ

.......आवेदक

---विरूद्ध--

मन्नालाल पिता धूराजी

निवासी–दीपाखेड़ा तह. सीतामऊ

........अनावेदक

178
30/7/2012

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय कलेक्टर जिला मन्दसौर के प्रकरण 13/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22/05/12 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगराणी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाये गये वैधानिक बिन्दुओं पर सही रूप से विचार किये बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की हैं ।

03. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक न तो उपस्थित हुआ न ही अनावेदक ने कोई मौखिक या लिखित तर्क प्रस्तुत किये एवम् न ही आवेदक की निगरानी का कोई विरोध किया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त करने में महान वैधानिक त्रुटि की हैं ।

04. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैधानिक प्रश्न पर भी विचार नही किया कि ग्राम दीपाखेड़ा के कुल 6 सर्वे नंबर का बंटवारा हेतु आवेदन है जिसमें से अनावेदक द्वारा सर्वे नं. 363 में से रकबा 1.497 आरे बंटवारे के पूर्व ही विक्रय कर दी गई हैं । विधान अनुसार विक्रय की गई भूमि अनावेदक के खाते में शामिल करके विक्रित भूमि अनावेदक के हिस्से में से कम करना थी जो नही करते हुए विधान के विपरीत जाकर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की हैं ।

05. यह कि, व्यवहार न्यायालय में पारित आदेश ...

LW-1-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2733-एक/12 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	